

GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT

DIRECTORATE GENERAL FACTORY ADVICE SERVICE & LABOUR INSTITUTES

REGIONAL LABOUR INSTITUTE FARIDABAD

(Industrial Safety Division) (An ISO 9001:2015 Certified Institute)

Training Programme on Safety Audit as per IS 14489:2018

November 26th – 28th, 2025

About DGFASLI and RLI Faridabad

DGFASLI is an attached office of the Ministry of Labour & Employment, Government of India and serves as a technical arm to assist the Ministry in formulating national policies on occupational safety and health (OSH) in factories and docks. It also advises factories on various problems concerning safety, health, efficiency and well - being of the persons at workplaces.

Regional Labour Institute (RLI) at Faridabad is a subordinate office under the DGFASLI and caters to occupational safety and health in factories.

About the Programme

This training programme will elaborate the concept of the OSH Audit which is carried out as per the requirement under IS 14489 and the various Legislative requirements such as the Factories Act, 1948 and the state Factories Rules, Environment (Protection) Act, 1986 and Rules made there under and other applicable Statutes.

Objective of Programme

The objective of this programme is to equip participants with a clear understanding of Occupational Safety and Health (OSH) Audits in line with IS 14489, relevant legal frameworks including the Factories Act, 1948, Environment (Protection) Act, 1986, and associated rules, emphasizing the importance of audits in strengthening organizational safety and health.

This programme aims to facilitate the delegates on the value system of Occupational Safety and Health Audit

Programme Highlights

- National Policy on Safety, Health and Environment at Workplace
- Introduction to OSH Audit
- Elements of IS 14489:2018
- ➤ Audit Methodology
- Questionnaire of the OSH Audit
- Records to be examined
- > Gather and Evaluate Audit data
- ➤ Audit Findings
- Preparation of Audit Report
- Follow up action

Participation

This programme is designed for professionals employed in the field of OSH, production, planning, training of Factories/Port/Construction Sites, especially Executives, Managers, Safety Officers, Technical Officers and Allied Professionals, Supervisor, etc.

However, anyone interested in the above training programme may also join.

Date, Timings & Mode

Three days $-26^{th} - 28^{th}$ November 2025 from 10:00 to 17:00 hrs through OFFLINE mode.

Venue: Conference Room (Nalanda) Second Floor, Regional Labour Institute, Sector 47, Faridabad – 121010 Nomination & Registration: Nomination may be sent by email to the Training Coordinator (details given below), on or before 17:00 hrs of 20th November, 2025.

Participation to the programme is subject to confirmation from this Institute.

Administrative and Payment Details:

- Institution fee @ Rs 5000/- (Rs Five thousand only) per participant may be deposited online through Bharatkosh portal by using the following steps only after receiving provisional nomination confirmation from Training Coordinator.
- Fee once paid will not be refunded/ adjusted.
- Institution fee does not include any refreshment/lunch. Participants have to arrange their lunch on your own.

Payment Procedure:

- ❖ Login to https://bharatkosh.gov.in
- Quick payment
- Ministry: 021 Labour & Employment
- Purpose: Training and services fees
- ❖ Pay & Account Office (PAO): PAO(CLC), New Delhi
- ❖ DDO Code: 202195 (Regional Labour Institute, Faridabad)
- * Remarks: Safety Audit as per IS 14489:2018

(Note: Bharatkosh receipts without the aforesaid remarks will not be considered for confirmation).

Accommodation: Limited number of non-family hostel accommodation, **if available** during the training program, can be provided on twin sharing basis in the hostel of the institute at the prescribed rates.

Training Coordinator

Shri Amit Gola, Asst. Director (Safety)

Regional Labour Institute Sector-47, Faridabad-121 010

Phone: 0129-2985554 7011162109

Email: amit.gola@dgfasli.nic.in

rlifaridabad@dgfasli.nic.in

Website: www.dgfasli.nic.in



REGIONAL LABOUR INSTITUTE FARIDABAD DIRECTORATE GENERAL FACTORY ADVICE SERVICE AND LABOUR INSTITUTES

Ministry of Labour and Employment, Government of India

Training Programme on "Safety Audit as per IS 14489:2018"

November 26th – 28th, 2025 (10:00 – 17:00 Hrs)

Nomination cum Registration Form

PARTICIPANT'S DETAILS Name (Block Letters) (In Hindi and English both): Designation: Address for Communication: Age: Qualification: **Total Experience:** Mobile No. and email id: **BELONGS TO:** (GEN / SC/ ST / OBC / PH) **DETAILS OF SPONSORING ORGANIZATION (if any)** Name & Address: Telephone No. / Mobile No. : E-mail: **INSTITUTE/PROGRAMME FEE DETAILS: Bharatkosh Receipt No.** Date: Place: _____ Date: ___

(Signature of Participant)



भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

कारखाना सलाह सेवा एवं श्रम संस्थान महानिदेशालय

> क्षेत्रीय श्रम संस्थान फरीदाबाद

(औद्योगिक सुरक्षा विभाग) (एक आईएसओ 9001:2015 प्रमाणित संस्थान)

आईएस 14489:2018 के अनुसार सुरक्षा ऑडिट पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

26 - 28 नवम्बर, 2025

डीजीएफएएसएलआई और आरएलआई फरीदाबाद के बारे में

डीजीएफएएसएलआई, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार का एक संलग्न कार्यालय है, जो मंत्रालय को कारखानों और डॉकों में व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य (OSH) से संबंधित राष्ट्रीय नीतियों के निर्माण में तकनीकी सहायता प्रदान करता है। यह कार्यस्थलों पर कार्यरत व्यक्तियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य, कार्यक्षमता और कल्याण से संबंधित विभिन्न समस्याओं पर कारखानों को परामर्श भी देता है।

क्षेत्रीय श्रम संस्थान (आरएलआई), फरीदाबाद, डीजीएफएएसएलआई के अधीन एक अधीनस्थ कार्यालय है, जो कारखानों में व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित विषयों की देखरेख करता है।

कार्यक्रम के बारे में

यह प्रशिक्षण कार्यक्रम व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य)OSH) ऑडिट की अवधारणा को स्पष्ट करेगा, जिसे आईएस 14489 के अंतर्गत निर्धारित आवश्यकताओं तथा विभिन्न विधिक प्रावधानों — जैसे कारखाना अधिनियम, 1948, राज्य कारखाना नियम, पर्यावरण अधिनियम (संरक्षण), 1986 एवं उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों तथा अन्य प्रासंगिक विधियों के अनुसार किया जाता है।

कार्यक्रम का उद्देश्य

इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रतिभागियों को व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य (OSH) ऑडिट की स्पष्ट समझ प्रदान करना है, जो आईएस 14489 तथा कारखाना अधिनियम, 1948, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 एवं संबंधित नियमों सहित प्रासंगिक विधिक ढांचे के अनुरूप किया जाता है। यह कार्यक्रम संगठनों में सुरक्षा एवं स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने में ऑडिट की भूमिका को रेखांकित करता है।

यह कार्यक्रम प्रतिभागियों को व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य ऑडिट की मूल्य प्रणाली (Value System) से परिचित कराने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है।

कार्यक्रम की विशेषताएँ

- 🕨 कार्यस्थल पर स्रक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण संबंधी राष्ट्रीय नीति
- व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य) OSH) ऑडिट का परिचय
- आईएस 14489:2018 के तत्व
- ऑिडट पद्धित
- OSH ऑडिट के लिए प्रश्नावली
- जांच की जाने वाली अभिलेख/दस्तावेज़
- ऑडिट डेटा का संग्रहण और मूल्यांकन
- ऑडिट निष्कर्ष
- ऑडिट रिपोर्ट की तैयारी
- अन्वर्ती कार्रवाई

भागीदारी

यह कार्यक्रम विशेष रूप से कारखानोंनिर्माण स्थलों में /पोर्ट/
) व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्यOSH), उत्पादन, योजना, तथा प्रिशिक्षण के क्षेत्र में कार्यरत पेशेवरों जैसे कि कार्यपालक)Executives), प्रबंधक)Managers), सुरक्षा अधिकारी, तकनीकी अधिकारी एवं सहायक पेशेवरों, पर्यवेक्षक)Supervisor) आदि के लिए तैयार किया गया है।

हालांकि, उपरोक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति इसमें भाग ले सकता है।

दिनांक, समय और तरीका: तीन दिन — 26 से 28 नवंबर 2025, प्रातः 10:00 बजे से सायं 17:00 बजे तक, ऑफलाइन माध्यम से। स्थान: सम्मेलन कक्ष (नालंदा), द्वितीय तल, क्षेत्रीय श्रम संस्थान, सेक्टर 47, फरीदाबाद — 121010

नामांकन एवं पंजीकरण: नामांकन ईमेल द्वारा प्रशिक्षण समन्वयक (नीचे दिए गए विवरण) को 20 नवंबर 2025 को 17:00 बजे या उससे पहले भेजा जा सकता है।

कार्यक्रम में भागीदारी इस संस्थान से पुष्टि के अधीन है।

प्रशासनिक और भुगतान विवरण: संस्थान शुल्क रु. 5000/- (केवल पाँच हजार रुपये) प्रति प्रतिभागी है जो प्रशिक्षण समन्वयक से अनंतिम नामांकन पुष्टि प्राप्त करने के बाद ही निम्नलिखित चरणों का उपयोग करके भारतकोश पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा किया जा सकता है।

- भ्गतान किया गया श्ल्क वापस/समायोजित नहीं किया जाएगा।
- संस्थान शुल्क में कोई जलपान/दोपहर का भोजन शामिल नहीं है। प्रतिभागियों को अपना दोपहर का भोजन स्वयं व्यवस्था करनी होगी।

<u>भुगतान प्रक्रियाः</u>

- ❖ Login to https://bharatkosh.gov.in
- Quick payment
- Ministry: 021 Labour & Employment
- Purpose: Training and services fees
- ❖ Pay & Account Office (PAO): PAO(CLC), New Delhi
- DDO Code: 202195 (Regional Labour Institute, Faridabad)
- * Remarks: Safety Audit as per IS 14489:2018

आवास: प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान उपलब्ध होने पर सीमित संख्या में गैरपरिवार हॉस्टल आवास संस्थान के हॉस्टल में निर्धारित दरों पर -ट्विन शेयरिंग आधार पर प्रदान किया जा सकता है।

प्रशिक्षण समन्वयक

श्री अमित गोला, सहायक निदेशक (सुरक्षा) क्षेत्रीय श्रम संस्थान, सेक्टर-47, फरीदाबाद-121 010

फोन: 0129-2985554, 7011162109

ईमेल: <u>amit.gola@dgfasli.nic.in</u>, <u>rlifaridabad@dgfasli.nic.in</u> वेबसाइट: <u>www.dgfasli.nic.in</u>



क्षेत्रीय श्रम संस्थान फरीदाबाद

कारखाना सलाह सेवा एवं श्रम संस्थान महानिदेशालय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार

प्रशिक्षण कार्यक्रम

"आईएस 14489:2018 के अनुसार सुरक्षा ऑडिट"

26 से 28 नवम्बर, 2025 (10:00 से 17:00 बजे तक)

नामांकन सह पंजीकरण फॉर्म

प्रतिभागी का विवरण नाम (बड़े अक्षरों में) (हिंदी में): पदनाम : संचार के लिए पता : आय् : योग्यता : कुल अन्भव : मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी : श्रेणी: (सामान्य / एससी / एसटी / ओबीसी / दिव्यांगजन) प्रायोजक संगठन का विवरण (यदि कोई हो) नाम और पता: टेलीफोन नंबर / मोबाइल नंबर: ई-मेल: संस्थान / कार्यक्रम शुल्क विवरण: भारतकोश रसीद सं. दिनांक: स्थान:_____ दिनांक:

(प्रतिभागी के हस्ताक्षर)